

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सरदारशहर (जिला चूरु)

पीठासीन अधिकारी— श्रीमती रीना (आर.ए.एस.)

वादपत्र संख्या 131/2020

अनुवान हंसगिर बनाम राजस्थान राज्य

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 आर. टी. एक्ट

एवं धारा 136 एल. आर. एक्ट

निर्णय दिनांक 04.03.2021

हंसगिर पुत्र हरचन्दगिर जाति गुसाई उम्र 57 वर्ष निवासी ढाणी दूदगिरी तहसील सरदारशहर जिला चूरु राजस्थान

—वादी —

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, सरदारशहर जिला चूरु

—प्रतिवादी—

उपस्थिति:

1. एडवोकेट श्री ओमप्रकाश वास्ते वादी।
2. तहसीलदार सरदारशहर वास्ते प्रतिवादी।

निर्णय

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादी की खातेदारी, कब्जा काशत की कृषि भूमि ख0 नं0 607 रकबा 8.0600 हैक्टेयर रोही मौजा खेजड़ा दिखणादा तहसील सरदारशहर में अवस्थित है। वादगत कृषि भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम सहगिर पुत्र हरचन्दगिर अशुद्ध दर्ज है। जबकि वादी का शुद्ध नाम हंसगिर पुत्र हरचन्दगिर है। वादगत कृषि भूमि में वादी का नाम हंसगिर पुत्र हरचन्दगिर के स्थान पर सहगिर पुत्र हरचन्दगिर राजस्व कर्मचारियों की सहबन से रही त्रुटिवश अशुद्ध दर्ज कर दिया गया। जबकि हरचन्दगिर के सहगिर के नाम से कोई संतान नहीं है। उक्त दोनो नाम एक ही व्यक्ति के दो भिन्न-भिन्न नाम हैं। वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में अशुद्ध है। राजस्व रिकॉर्ड में वादी अपना नाम शुद्ध करवाने की घोषणा करवाकर राजस्व रिकॉर्ड शुद्ध दर्ज करवाने का अधिकारी है।

वादी का नाम उसके आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, परिवार राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड, बैंक पास बुक आदि दस्तावेजों में हंसगिर पुत्र हरचन्दगिर अंकित है। जो कि सत्य व सही है। सहगिर पुत्र हरचन्दगिर नाम वादी का वादगत अभिलेख के अतिरिक्त कहीं भी अंकित नहीं है। इसलिए राजस्व रिकॉर्ड की प्रविष्टियों में गलत दर्ज वादी का नाम शुद्धिकरण किये जाने योग्य है। वादी का वास्तविक

नाम हसंगिर पुत्र हरचन्दगिर है जबकि राजस्व रेकॉर्ड जमाबन्दी में सहगिर पुत्र हरचन्दगिर अंकित होने से वादी को बैंक ऋण, किसान क्रेडिट कार्ड, फसल बीमा अथवा अन्य कार्यों में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है तथा राजस्व रिकॉर्ड व अन्य दस्तावेजों में अलग-अलग नाम होने से कई कानूनी पेचिदगियों का सामना वादी को करना पड़ता है। इसलिए वादी के लिए यह आवश्यक हो गया है कि राजस्व रेकॉर्ड में भूलवश दर्ज नाम सहगिर पुत्र हरचन्दगिर के स्थान पर सही नाम हसंगिर पुत्र हरचन्दगिर दर्ज करवाये जिसके लिए यह दावा वादी की ओर से प्रस्तुत किया गया है।

वादी ने कभी अपनी कृषि भूमि के राजस्व रेकॉर्ड का पता नहीं किया। अब राजस्व रिकॉर्ड की प्रतियां हल्का पटवारी से प्राप्त की तो वादी को इस अशुद्ध राजस्व रिकॉर्ड का पता चला। इस कारण राजस्व रेकॉर्ड की नकले प्राप्त करने से दावा अन्दर मियाद पेश है। राजस्व रिकॉर्ड की नकले हासिल करके वादी प्रतिवादी से मिला और इस गलत राजस्व रिकॉर्ड में संशोधन कर वादी का नाम सहगिर पुत्र हरचन्दगिर के स्थान पर सही नाम हसंगिर पुत्र हरचन्दगिर दर्ज करने का निवेदन किया तो प्रतिवादी ने कहा कि SDO साहब के यहां कार्यवाही करो। इस प्रकार प्रतिवादी द्वारा इन्कार करने से दावा प्रस्तुत करने का कारण व दावा प्रस्तुत का हेतुक वादी की खातेदारी कृषि भूमि होने से है। वादगत कृषि भूमि ग्राम खेजड़ा दिखणादा तहसील सरदारशहर जिला चूरु में स्थित होने से दावा हाजा के सुनवाई का क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार श्रीमान जी को प्राप्त है।

वादी ने वाद पेश कर स्वयं की कृषि भूमि ख0 नं0 607 रकबा 8.0600 हैक्टेयर रोही मौजा खेजड़ा दिखणादा तहसील सरदारशहर वादी की खातेदारी कृषि भूमि है जिसके राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम सहगिर पुत्र हरचन्दगिर अशुद्ध दर्ज है जिसे शुद्ध कर सही नाम हसंगिर पुत्र हरचन्दगिर दर्ज करवाने का निवेदन किया है।

वाद पेश होने पर इसे दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को तलब किया गया। राज पैरोकार उपस्थित आये एवं जबाब दावा पेश किया जिसके अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम सहगिर पुत्र हरचन्दगिर अशुद्ध दर्ज है जिसे शुद्ध कर सही नाम हसंगिर पुत्र हरचन्दगिर घोषित किया जाता है तो राज्य पक्ष ने ऐतराज नहीं होना जाहिर किया है।

वादी द्वारा साक्ष्यवादी में निम्नांकित प्रदर्श प्रस्तुत किये गये—

1. जमाबन्दी सम्वत् 2075-2078 खसरा नम्बर 607 की छायाप्रति।
2. वादी के मतदाता फोटो पहचान पत्र की छायाप्रति।
3. वादी के बैंक पासबुक की छायाप्रति।
4. वादी के आधार कार्ड की छायाप्रति।
5. वादी के राशन कार्ड की छायाप्रति।
6. जनआधार कार्ड की छायाप्रति।

पत्रावली में प्रस्तुत समस्त दस्तावेजात, शपथ पत्र एवं सम्पूर्ण पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया एवं बहस के दौरान उभय पक्षकारान द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया गया जिससे यह सामने आया कि वादी द्वारा प्रस्तुत समस्त दस्तावेजों में वादी का नाम हसंगिर पुत्र हरचन्दगिर अंकित है।

अतः वर्णित विवेचन से वाद पुष्ट एवं प्रमाणित पाया जाता है अतः वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषित किया जाता है कि कृषि भूमि ख0 नं0 607 रकबा 8.0600 हैक्टेयर रोही मौजा खेजड़ा दिखणादा तहसील सरदारशहर वादी की खातेदारी कृषि भूमि है जिसके राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम सहगिर पुत्र हरचन्दगिर अशुद्ध दर्ज है जिसे शुद्ध कर सही नाम हसंगिर उर्फ सहगिर पुत्र हरचन्दगिर दर्ज किये जाने के आदेश प्रतिवादी तहसीलदार सरदारशहर को दिये जाते हैं। पर्चा डिक्री जारी हो।

| क्र. सं. | ग्राम | खसरा नम्बर | वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि) | आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी हैं) |
|----------|----------------|------------|--------------------------------------|---|
| 1. | खेजड़ा दिखणादा | 607 | सहगिर पुत्र हरचन्दगिर | हसंगिर उर्फ सहगिर पुत्र हरचन्दगिर |

रीना (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
सरदारशहर (चूरु)

निर्णय आज दिनांक 04.03.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

रीना (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
सरदारशहर (चूरु)

डिक्री ब मुकद्देमें इब्तदाई
(ऑर्डर 20,रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix 'D')
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, सरदारशहर
पीठासीन अधिकारी- श्रीमती रीना (आर. ए. एस.)
वादपत्र संख्या 131/2020
अनुवान हंसगिर बनाम राजस्थान राज्य
वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 आर. टी. एक्ट
एवं धारा 136 एल. आर. एक्ट

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी श्री ओमप्रकाश एडवोकेट एवं पैरोकार राज मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है तथा वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषित किया जाता है कि कृषि भूमि ख0 नं0 607 रकबा 8.0600 हैक्टेयर रोही मौजा खेजड़ा दिखणादा तहसील सरदारशहर वादी की खातेदारी कृषि भूमि है जिसके राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम सहगिर पुत्र हरचन्दगिर अशुद्ध दर्ज है जिसे शुद्ध कर सही नाम हंसगिर उर्फ सहगिर पुत्र हरचन्दगिर दर्ज किये जाने के आदेश प्रतिवादी तहसीलदार सरदारशहर को दिये जाते हैं।

.....बीज.....मुबलिबाबत खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह फीसदी सालानी आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक को अदा करें। मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 04 माह 03 सन् 2021 को जारी की गई।

दस्तखत.....

मुहर

ओहदा

| मुदई | रूपया | पै. | मुदायलाहा | रूपया | पै. |
|----------------------|-------|-----|----------------------|-------|-----|
| स्टाम्प अरजीदावा | 02 | 00 | स्टाम्प वकालतनामा | 00 | 00 |
| स्टाम्प वकालतनामा | 01 | 00 | स्टाम्प अर्जी | 00 | 00 |
| स्टाम्प वजह सबूत | 00 | 00 | स्टाम्प वजह सबूत | 00 | 00 |
| महनताना वकील | 00 | 00 | महनताना वकील | 00 | 00 |
| खर्चा गवाहान | 00 | 00 | खर्चा गवाहान | 00 | 00 |
| फीस कमिश्नर | 00 | 00 | फीस कमिश्नर | 00 | 00 |
| बाबत इजराय हुक्मनामा | 00 | 00 | बाबत इजराय हुक्मनामा | 00 | 00 |
| मुतफर्रिक | 02 | 00 | मुतफर्रिक | 00 | 00 |
| मिजान | 05 | 00 | मिजान | 00 | 00 |

